

टिप्पणी एवं आदेश
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
(लेखा एवं वित्त)

No. A&F/2023/2398-2409

Dated : 27/7/2023

Please find enclosed herewith the minutes of the meeting of the Finance Committee held on 16.03.2023 duly approved by the Syndicate vide its Resolution No. 13-1.30 dated 28-06-2023. Accordingly you are requested kindly to send Action Taken Report pertaining to your section on the decisions taken by the Finance Committee and Syndicate with in 07 days.


Asstt./Dy. Registrar (A&F)

S.No.	Deptt. / Section	Finance Committee held on 16.03.2023 vide Res. No. as under
1	A.R (A&F-I)	1,2,3,4,10,11, T.A. 8 (1,2,4)
2	C.E.	5
3	D.R. (Estt. I)	6
4	A.R (A&F-II)	7,8,12
5	D.R. (GAD)	9 (1,2,3), T.A. 5, T.A. 6, T.A. 7, T.A. 8 (3)
6	AAO (Retd.)	13
7	DR (PPM)	14
8	Director, HRDC	15
9	DR (Research)	T.A.1, T.A. 2, T.A. 3
10	Director, Infonet Centre	T.A. 4
11	U.E.	T.A. 5, T.A. 6, T.A. 7
12	Head, Deptt. of Music	T.A. 7

UNIVERSITY OF RAJASTHAN JAIPUR

Minutes of the Finance Committee meeting held on 16.03.2023 at 11.30 A.M. in the Vice-Chancellor's Secretariat, University of Rajasthan, Jaipur.

The following members were present in the meeting :

1	Prof. Rajeev Jain, Vice-Chancellor University of Rajasthan, Jaipur	-	Chairman
2	Prof. S.L. Sharma, Dean, Faculty of Social Science, University of Rajasthan, Jaipur.	-	Member
3	Prof. Nimali Singh, Department of Home Science University of Rajasthan, Jaipur	-	Member
4	Prof. Pankaj Nagar, Department of Statistics, University of Rajasthan, Jaipur.	-	Member
5	Prof. Abhay Upadhyaya, Head, Deptt. of ABST, University of Rajasthan, Jaipur.	-	Member
6	Sh. Prahlad Ram Meena, A.O. (Hr. Edu. Gr-IV) Nominee of Principal, Secretary, Higher Education, Govt. of Rajasthan, Jaipur	-	Member
7	Sh. RamSwaroop Meena, Treasury officer (Pension), Jaipur (Nominee of Finance Secretary), Govt. of Rajasthan, Jaipur.	-	Member
8	Sh. Ramshukh Jatoliya, Comptroller of Finance & Financial Advisor, University of Rajasthan, Jaipur.	-	Member Secretary

Note : Neelima Takshak, Registrar, University of Rajasthan, Jaipur could not attend the meeting.

At the outset, the Hon'ble Vice-Chancellor accorded a cordial welcome to all the members in the meeting especially new members.

Agenda No. 1

To confirm the minutes of the Finance Committee meeting held on 28.03.2022.

The Committee perused the minutes of the Finance Committee meeting held on 28.03.2022 and confirmed the same.

Agenda No.2

To confirm the Action Taken Report of the Finance Committee held on 28.03.2022.

The Committee perused the Action Taken Report and approved the same.

Agenda No.3

To consider the proposals for the Budget Estimates 2023-24 and Revised Estimates 2022-23

The Committee considered the proposals of the Budget Estimates of 2023-24 and Revised Estimates of 2022-23 and after detailed discussions/deliberations resolved to recommend the same.

Agenda No.4

To confirm the minutes of the Investment Committee held on 30.05.2022 and 17.02.2023.

The Committee confirmed the minutes of the Investment Committee held on 30.05.2022 and 17.02.2023 respectively.

Agenda No. 5

विगत वर्षों में हुई बेतहाशा महंगाई एवं मुद्रास्फीति (Inflation Hike) के मध्यनजर विभिन्न संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों/विभागाध्यक्ष, नाट्य विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय अशैक्षणिक कर्मचारी संघ के मांग पत्र दिनांक 10.06.2022 पर परीक्षा प्लानिंग एवं मॉनिटरिंग समिति की दिनांक 03.06.2022 (निश्चय संख्या-5), दिनांक 07.09.2022 (निश्चय संख्या-4), दिनांक 22.06.2022 (निश्चय संख्या-2) में विस्तृत विचार विमर्श एवं विश्लेषण करने के पश्चात् शिक्षकों एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक/मानदेयों में शैक्षणिक सत्र 2021-2022 (अर्थात् परीक्षा, 2022) हेतु वित्त समिति के निर्णयाधीन की गई अभिवृद्धि की अनुशांसा पर विचार करते हुए तदनुसार उचित निर्णय लिया जाना।

(A)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	वर्तमान निर्धारित दर (Per day one session of 3 hrs.)	अभिवृद्धित दर	वर्तमान निर्धारित दर (Per day two sessions of 3 hrs. each)	अभिवृद्धित दर	वर्तमान निर्धारित दर (Per day three sessions of 3 hrs. each)	अभिवृद्धित दर
1	केन्द्राधीक्षक	Rs. 300/-	450/-	Rs. 500/-	750/-	Rs. 700/-	1000/-
2	अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक	Rs. 200/-	300/-	Rs 350/-	550/-	Rs. 500/-	700/-
3	सहायक केन्द्राधीक्षक	Rs. 160/-	260/-	Rs. 300/-	500/-	Rs. 400/-	600/-
4	वीक्षक	Rs. 150/-	250/-	-----	-----	-----	-----
5	लिपिक	Rs. 80/- per session	150/-	-----	-----	-----	-----
6	सहायक कर्मचारी	Rs. 60/- per session	120/-	-----	-----	-----	-----

(B)

Existing conveyance allowance (Exam. 2021)	Proposed to be increased (Exam. 2022)	Existing Refreshment allowance (Exam. 2021)	Proposed to be increased (Exam. 2022)	Existing Hard Duty allowance (Exam. 2021)	Proposed to be increased (Exam. 2022)
Rs 100 per day	Rs. 150 per day	Rs. 50 Per day	Rs. 80 per day	Rs. 80 Per day	Rs. 120 per day

(C) नाट्य विभाग में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों (B.A., M.A., PG Diploma) हेतु बाह्य परीक्षकों द्वारा प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाने हेतु देय पारिश्रमिक दर रूपये 20/- प्रति छात्र से रूपये 300/- प्रति छात्र शैक्षणिक सत्र 2021-2022 (विश्वविद्यालय परीक्षा-2022) से लागू करने पर विचार करना।

कमेटी ने उपरोक्त कार्यसूची के उप बिन्दु (A), (B) एवं (C) पर निम्न कार्यालय आदेश क्रमांक Exam IV-A/2023/CE/419 दिनांक 20.02.2023 की निरन्तरता में अनुशषाए की :

उपरोक्त टेबिल (A) में कार्य के विवरण में दर्शाई गई वर्तमान निर्धारित दरों के परिप्रेक्ष में अभिवृद्धित दरों को परीक्षा 2023 से स्वीकार करने की अनुशषा की।

समिति द्वारा टेबिल (B) में दर्शाये गये विभिन्न भत्तो में परीक्षा 2023 से कन्वेयन्स, रिफ्रेशमेंट एवं कठिन कार्य हेतु अभिवृद्धित दर को स्वीकार करने की अनुशषा की गयी।

(C) समिति द्वारा नाट्य विभाग में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों (B.A., M.A., PG Diploma) हेतु बाह्य परीक्षकों द्वारा प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाने हेतु देय पारिश्रमिक दर रूपये 20/- प्रति छात्र से रूपये 300/- प्रति छात्र विश्वविद्यालय परीक्षा 2023 से स्वीकार करने की अनुशषा की गयी।

Agenda No. 6

To abolish the 34 post of the Research Associate as sanctioned in the University Budget.


The Committee considered the above proposal and resolved to recommend to abolish the 34 posts of the Research Associate as sanctioned in University Budget and further resolved to recommend that a request letter be sent to the State Government to create 34 posts of Asstt. Professor in lieu of 34 post of the Research Associates.

Agenda No. 7

अध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय अशैक्षणिक कर्मचारी संघ के अनुरोध के अनुसार राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्ष 2004 से पूर्व नियुक्त समस्त कार्यरत कार्मिकों के लिए RGHS योजना को वैकल्पिक किये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

समिति ने सर्व सम्मति से आर.जी.एच.एस. योजना के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनुशषाएँ की :-

- (1) पेन्शर्स कर्मचारियों (शैक्षणिक/अशैक्षणिक) की भॉति ही 01.01.2004 के पहले नियुक्त कार्यरत कर्मचारियों (शैक्षणिक/अशैक्षणिक) के लिए भी आर.जी.एच.एस. योजना को वैकल्पिक रखा जाये।



- (2) जो कर्मचारी राजस्थान विश्वविद्यालय की पुरानी मेडिकल पुर्नभरण स्कीम को विकल्प के रूप में चुनते हैं उन कर्मचारियों से आर.जी.एच.एस. योजना से पूर्व में REMBS में कर्मचारियों की स्लेब के नियमानुसार जो कटौती की जाती थी उसे बन्द करने की तिथि से ही चालू किया जाये।
- (3) दिनांक 01.01.2004 से पूर्व नियुक्त कर्मचारी (शैक्षणिक/अशैक्षणिक) जो 01.04.2022 के बाद सेवानिवृत्त हुये है उनके लिए भी आर.जी.एच.एस. स्कीम को वैकल्पिक करने की अनुशंषा की तथा सेवानिवृत्त की दिनांक से पूर्व जिस दर से REMBS में कटौती होती थी वह राशि बन्द करने की तिथि से सेवानिवृत्त होने की तिथि तक की बकाया राशि यदि कोई हो जमा कराने के पश्चात ही पुरानी स्कीम का विकल्प दिया जावेगा तथा जो कर्मचारी (शैक्षणिक/अशैक्षणिक) कर्मचारी पुरानी स्कीम का विकल्प देते हैं तो retirement के बाद के बिलों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार पुर्नभरण किया जावेगा।
- (4) दिनांक 15.06.2022 के बाद भी जिन कर्मचारियों (शैक्षणिक/अशैक्षणिक) ने RGHS स्कीम को स्वीकार नहीं किया था उनके मेडिकल बिल उप-बिन्दु 2 के अनुसार REMBS की राशि जमा कराने के बाद विश्वविद्यालय की पुरानी मेडिकल स्कीम के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर पुर्नभरण नियमानुसार भुगतान करने की अनुशंषा की।


Agenda No. 8

अध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय अशैक्षणिक कर्मचारी संघ के अनुरोध को स्वीकार करते हुये दिनांक 01.01.2004 व इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिए राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS के अन्तर्गत पैकेज - 2 के तहत प्रीमियम राशि रु. 10500/- को 50 प्रतिशत विश्वविद्यालय एवं 50 प्रतिशत कर्मचारी द्वारा वहन करने की कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 03.12.2022 व 08.03.2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। कुलपति महोदय के आदेश वित्त समिति की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

समिति ने माननीय कुलपतिजी के आदेश दिनांक 03.12.2022 व 08.03.2023 की पुष्टि की।

Agenda No. 9

- कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ.9/सा.प्र./2022/10366 दिनांक 15.11.2022 के क्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर नवनिर्मित पुस्तकालय भवन एवं बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर मूर्ति का अनावरण समारोह दिनांक 16.11.2022 हेतु स्टेज, सिटिंग एरिया में टेण्टेज एवं जनरेटर एवं लाईटिंग आदि व्यवस्था हेतु 18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित राशि रु. 650865/- (छ: लाख पचास हजार आठ सौ पैसठ) के भुगतान केन्द्रीय कार्यालय कन्टीजेन्सी मद से किये जाने हेतु Reporting Item वित्त समिति की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।
- कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 07.11.2022 की अनुपालना में कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.9/सा.प्र./2022/10413-20 दिनांक 18.11.2022 के क्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में कराये गए मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य एवं विश्वविद्यालय परिसर में सड़क कार्य करवाये जाने हेतु व्यय राशि रु. 361.68 लाख (तीन करोड़ इकसठ लाख अड़सठ हजार मात्र) क्रमशः संविधान पार्क मद से 212.17 लाख व न्यू लाईब्रेरी बिल्डिंग मद से 149.51 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वर्ष



2022-23 से प्रदान की गई उपरोक्त कार्य विश्वविद्यालय अभियन्ता की देखरेख में RTPP Act 2012 के नियमों के अनुसार निष्पादित करने सम्बन्धी आदेश वित्त समिति की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

3. मैसर्स बुद्धिराम मान, संचालक, केन्द्रीय कार्यालय जलपान गृह द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के पश्चात व्यापार में आयी मंदी के प्रभाव के कारण जलपान गृह के किराये में दिनांक 01.03.2021 से दिनांक 20.04.2021 व दिनांक 01.08.2021 से दिनांक 30.11.2021 तक कुल 5 माह 20 दिन के किराये को माफ करने छूट दिये जाने हेतु कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 16.02.2023 की अनुपालना में उक्त प्रकरण वित्त समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्त समिति ने उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर निम्न निर्णय/अनुशंषा की :

1. समिति ने कार्यालय आदेश क्रमांक F.9/सा.प्र./2022/10651-56 दिनांक 02.12.2022 में केन्द्रीय कार्यालय कन्टीजेन्सी मद से राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर नवनिर्मित पुस्तकालय भवन एवं बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर मूर्ति का अनावरण समारोह दिनांक 16.11.2022 हेतु स्टेज, सिटिंग एरिया में टेण्टेज एवं जनरेटर एवं लाईटिंग आदि व्यवस्था हेतु 18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित राशि रु. 650865/- (छः लाख पचास हजार आठ सौ पैसठ) के भुगतान की स्वीकृति की पुष्टि करती है।
2. समिति ने माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 07.11.2022 की पुष्टि की।
3. कमेटी ने मैसर्स बुद्धिराम मान, संचालक, केन्द्रीय कार्यालय जलपान गृह द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के पश्चात व्यापार में आयी मंदी के प्रभाव के कारण जलपान गृह के किराये में दिनांक 01.03.2021 से दिनांक 20.04.2021 व दिनांक 01.08.2021 से दिनांक 30.11.2021 तक कुल 5 माह 20 दिन के कुल किराये की राशि को माफ किया तथा समिति ने आगे सिफारिश की उक्त अवधि में पानी, बिजली तथा सरकारी टैक्स आदि का भुगतान सम्बन्धित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।

Agenda No. 10

To confirm the Hon'ble Vice-Chancellor order's dated 23.09.2022 for sanctioning Over-time and hard duty allowance to the employees of the A&F Section as per last year practice copy of the office order is enclosed.

The Committee confirmed the order of the Hon'ble Vice-Chancellor dated 23.09.2022 for sanctioning hard duty allowance alongwith Overtime to the employees of A&F Section and further resolved to recommend that in Other Sections where hard duty already sanctioned by the Hon'ble Vice-Chancellor alongwith overtime be also allowed.



Agenda No. 11

To consider appointing one member for Investment Committee in place of Prof. Harsh Dwivedi, Prof. in Management who has been retired on November, 2022 from University Services.

~~The Committee unanimously resolved to recommend the same may be appointed by the Syndicate.~~

Agenda No. 12

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (नियम अनुभाग) का पत्र क्रमांक अशा. टीप क्रमांक प. 13(12) वित्त/नियम/2021 दिनांक 21.02.2023 के प्रावधानों को राजस्थान विश्वविद्यालय में लागू करने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

The Committee considered the letter received from the State Govt. dated 21-02-2023 and resolved to recommend the same.

Agenda No. 13

राजस्थान विश्वविद्यालय के विरुद्ध महालेखाकार अंकेक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण विभाग, राजस्थान सरकार के विशेष जांच प्रतिवेदन, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान सरकार के विशेष जांच प्रतिवेदन एवं आन्तरिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की स्थिति वित्त समिति के पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत हैं।

The Committee perused and resolved to recommend that :-

1. A letter be sent to State Govt. for giving permission to fill the sanction vacant posts in Teaching and Non-Teaching cadre.
2. A meeting be convened under the Convenorship of Hon'ble Vice-Chancellor and all Principals of Constituent Colleges/Heads of the Deptts./ C.E./U.E./All Dy. Registrars be directed to attend the same for giving reply/compliance report of outstanding paras as the State Govt. pressing hard for their compliance.



Agenda No. 14

अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (रूटा) का राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों को देश-विदेश में कांफ्रेस में भाग लेने पर वित्तीय सहायता प्रदान करने बाबत पत्र संख्या रूटा/2022/42 दिनांक 09.02.2023 विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

समिति द्वारा अनुशंसा की गयी कि राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों को देश विदेश में कांफ्रेस में भाग लेने हेतु पूर्व की भांति सहायता उपलब्ध कराने हेतु यू.जी.सी. को अनुरोध पत्र भेजा जाये। साथ ही यह भी अनुशंसा की गयी कि विश्वविद्यालय के स्तर से सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में मानदण्ड/नियम/विनियम आदि तैयार करने के लिए एक समिति का गठन करने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया। जो एक माह में रिपोर्ट कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करे। समिति की रिपोर्ट एवं सिंडीकेट के अनुमोदन की शर्त पर विश्वविद्यालय बजट वर्ष 2023-24 में राशि रू. 75.00 लाख का प्रावधान करने की अनुशंसा भी की गयी।

Agenda No. 15

निदेशक, एच.आर.डी.सी., राजस्थान विश्वविद्यालय का एच.आर.डी.सी. के नये भवन सेमीनार हॉल और अतिथी गृह के किराया सम्बन्धित प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

दरें :-

1. पूर्व में सेमीनार हॉल व अतिथि का गृह का किराया निम्न प्रकार था :-

क्र.सं.	मद	विश्वविद्यालय	अन्य
1	सेमिनार हॉल प्रथम	3000	5000
2	सेमिनार हॉल द्वितीय	2000	3000
3	अतिथि गृह प्रतिभागी	300 रू. प्रतिदिन	
4	प्रतिभागी अतिथि	400 रू. प्रतिदिन	

2. अब निदेशक महोदय द्वारा निम्नानुसार किराया प्रस्तावित किया गया है :-

क्र.सं.	मद	विश्वविद्यालय	अन्य
1	सेमिनार हॉल प्रथम	8000	13000
2	सेमिनार हॉल द्वितीय	5000	8000
	सेमिनार हॉल तृतीय	3000	5000
4	कम्प्यूटर लैब	7000	13000
5	अतिथि गृह के कमरे :-		
	(a) प्रतिभागी	300 रू. प्रतिदिन	
	(B) अतिथि प्रतिभागी	500 रू. प्रतिदिन	
	(c) विश्वविद्यालय ईकाई/अन्य	800 रू. प्रतिदिन	

समिति द्वारा निदेशक, एच.आर.डी.सी., राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नये भवन, सेमीनार हॉल और अतिथी गृह के किराये में बढ़ोतरी के उपरोक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करने की अनुशंसा की गयी।

Table Agenda No. 1

विभागीय शोध छात्रवृत्ति (Departmental Research Scholarship), सामान्य शोध छात्रवृत्ति (General Research Scholarship) एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यावृत्ति (~~University Research Fellowship~~) हेतु प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली अधिसूचना में मानवशास्त्र विभाग (Deptt. of Anthropology) एवं नाट्य विभाग (Deptt. of Dramatics) का नाम भी सम्मिलित करने बाबत पत्र विचारार्थ प्रस्तुत है।

The Committee resolved to recommend the same.

Table Agenda No. 2

रामस्वरूप औला, अध्यक्ष, शोध छात्र संघ, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक RR/Rusu/22-23/45 दिनांक 12.12.2022 विचारार्थ प्रस्तुत है जिसमें पीएच.डी. शोधार्थियों की विभागीय शोध छात्रवृत्ति राशि बढ़ाकर रु. 20,000/- प्रतिमाह करने तथा सभी नॉन-फैलोशिप शोधार्थियों को भी छात्रवृत्ति दिलवाने हेतु निवेदन किया गया है।

समिति द्वारा पीएच.डी. शोधार्थियों की विभागीय शोध छात्रवृत्ति बढ़ाने एवं नॉन फैलोशिप शोधार्थियों की छात्रवृत्ति दिलवाने हेतु एक निम्नलिखित सदस्यों की समिति बनाने की सिफारिश की गयी जो उपरोक्त के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट एक माह में माननीय कुलपतिजी को सौपेगी :-

1. प्रो नीमाली सिंह, कन्वीनर
2. प्रो पंकज नागर, सदस्य
3. उप-कुलसचिव, ले.वि., सदस्य
4. उप-कुलसचिव, शोध अनुभाग, सदस्य सचिव

Table Agenda No. 3

To consider the proposal regarding to make provision of a separate Budget Head for purchasing of the subscription of 'TURNITIN', a plagiarism check software.

The Committee considered the proposal and resolved to recommend that a separate Budget Head for purchasing of subscription of "TURNITIN" software be created in University budget from the session 2023-24




Table Agenda No. 4

To consider the request of the Director, Infonet Centre for fund allocation for Air Conditioning, Furniture, Partition, UPS, Smart screen at newly constructed space at First floor of Infonet Centre under RUSA 2.0 Scheme.

The Committee resolved to recommend that a provision of Rs. 50.00 lakh for one time in 2023-24 be made under the new Budget head "Furnishing of Ist floor of Infonet Centre Building"

Table Agenda No. 5

To consider the proposal for making Dome Steel Structure (Roofing work) at University Convocation Centre, University of Rajasthan, Jaipur.

The Committee considered the above proposal and resolved to recommend that a provision be made in the Budget 2023-24 and 2024-25 under head "Dome Steel Structure at Convocation Centre amounting to Rs. 10.00 crore in each financial year respectively due to deficit of Budget and limited sources of University.

Table Agenda No. 6

To consider the Forecast Estimate for Electric Rewiring and Maintenance work at Deptt. of Drama amounting to Rs. 3.09 lacs given by the U.E. office for A&F (administrative and financial) sanction.

The Committee considered the above proposal and resolved to recommend that the above work be done out of the Budget head 'Mtc. works' sanctioned to University Engineering office for the session 2023-24.

Table Agenda No. 7

To consider the proposal received from the Head for furnishing the Auditorium at University Deptt. of Music, University of Rajasthan, Jaipur.

The Committee considered the above proposal and resolved to recommend that a provision amounting to Rs. 20.00 lacs be made in the Budget 2023-24 under





new head 'Furnishing the Auditorium' at Deptt. of Music, University of Rajasthan, Jaipur for one time only. Further the Committee resolved to recommend that a detailed forecast estimate should be prepared by the U.E. office first.

उक्त के पश्चात समिति ने विस्तृत विचार विमर्श कर निम्न अनुशंसा की :-

1. वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के विश्वविद्यालय के निवर्तमान प्राध्यापकों में संशोधन पर विचार करने हेतु समिति का गठन करने हेतु कुलपतिजी को अधिकृत किया गया।
2. राज्य सरकार के लेखा नियमों के अनुरूप राजस्थान विश्वविद्यालय में भी अग्रिम समायोजन की अवधि तीन माह के स्थान पर एक माह निर्धारित की जाये तथा एक माह पश्चात निर्धारित दर से ब्याज वसूल किया जाये।
3. विश्वविद्यालय में लम्बे समय से पड़े अनुपयोगी सामग्री का निस्तारण दो माह की अवधि में किया जाये।
4. विश्वविद्यालय की आय में वृद्धि के विकल्पों की तलाश की जाये।

The meeting ended with vote of thanks to the members and the Chair.


(Ramsukh Jatoliya)
Comptroller of Finance &
Finance Officer and Ex-Officio
Member Secretary


(Prof. Rajeev Jain)
Vice-Chancellor and Chairman,
Finance Committee.